भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3041

07 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

किफायती आवास भागीदारी परियोजनाएँ

†3041. श्री केसिनेनी शिवनाथः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मॉडल 1 और मॉडल 2 के अंतर्गत कार्यान्वित किफायती आवास भागीदारी (एएचपी) परियोजनाओं की राज्यवार और जिलावार कुल संख्या कितनी है;

(ख) प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान प्राप्त करने वाली एएचपी परियोजनाओं की राज्यवार आंध्र प्रदेश के लिए जिलावार सहित और वर्षवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या उक्त प्रौद्योगिकियों के निष्पादन और मापनीयता का मूल्यांकन करने के लिए कोई संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त परियोजनाओं में प्रयुक्त विशिष्ट वैकल्पिक निर्माण प्रौद्योगिकियाँ क्या हैं और निर्माण समय तथा लागत को कम करने में उक्त प्रौद्योगिकियों की प्रभावकारिता क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त प्रौद्योगिकियों की निरन्तरता और आपदा प्रतिरोधक क्षमता पर प्रभाव का कोई तृतीय-पक्ष मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) आंध्र प्रदेश जैसे तटीय उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों, विशेषकर नेल्लोर और अन्य चक्रवात-प्रवण जिलों में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज (जीएचटीसी)- प्रमाणित प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण के विस्तार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (च): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ सभी मौसमों में रहने योग्य पक्के आवास उपलब्ध कराना है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में किफायती लागत पर 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा आवास बनाने, खरीदने और किराए पर लेने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के

लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। पीएमएवाई-यू 2.0 के एएचपी घटक को दो मॉडलों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है:

मॉडल-1: सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों और अर्ध-सरकारी संस्थानों द्वारा आवासों का निर्माण।

मॉडल-2: निजी क्षेत्र की एएचपी परियोजनाएं- हाउसिंग वाउचर के माध्यम से श्वेतसूचीबद्ध निजी क्षेत्र की परियोजनाओं से खरीद कर आवास का स्वामित्व।

इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, बीएमटीपीसी/सीपीडब्ल्यूडी द्वारा जीएचटीसी/पीएसीएस के माध्यम से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नवीन निर्माण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाली एएचपी परियोजनाओं के लिए प्रति आवास इकाई 30 वर्ग मीटर तक के कार्पेट क्षेत्र के लिए 1,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान (टीआईजी) के रूप में अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को भी केंद्रीय टीआईजी के अनुपात में अपने संसाधनों से एएचपी परियोजनाओं के लिए टीआईजी प्रदान करना होगा। टीआईजी केवल नवीन और वैकल्पिक तकनीकों का उपयोग करने वाली परियोजनाओं पर लागू है और इसे सभी वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, हर तरह से 18-24 महीनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

पीएमएवाई-यू 2.0 के एएचपी घटक के तहत, वैकल्पिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके केवल महाराष्ट्र राज्य में दिनांक 18.06.2025 को मंत्रालय द्वारा 8 परियोजनाओं में कुल 21,017 आवासों को स्वीकृति दी गई है। ये परियोजनाएँ 90.64 करोड़ रूपये (केंद्रीय का हिस्सा - 60.44 करोड़ रूपये और राज्य का हिस्सा - 30.22 करोड़ रूपये) की टीआईजी प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य द्वारा प्रस्तुत अनुपालन के आधार पर टीआईजी जारी की जाएगी। अभी तक, महाराष्ट्र राज्य को कोई टीआईजी जारी नहीं की गई है। मंत्रालय को अभी तक आंध्र प्रदेश से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

इससे पहले पीएमएवाई-यू में, आंध्र प्रदेश में एएचपी घटक के तहत नवीन मोनोलिथिक निर्माण प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए 2.68 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई थी, लेकिन पीएमएवाई-यू के पहले के दिशानिर्देशों में एएचपी परियोजनाओं के लिए कोई टीआईजी का प्रावधान नहीं किया गया था।

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत स्थापित प्रौद्योगिकी उप-मिशन (टीएसएम) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य हितधारकों को आवासों के तेजी से एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए आधुनिक, नवीन और हरित प्रौद्योगिकियों तथा वैकल्पिक निर्माण सामग्री को अपनाने में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है। इसे नवीन डिजाइन और निर्माण पद्धतियों और परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत प्रौद्योगिकी और नवाचार उप-मिशन (टीआईएसएम) के रूप में आगे बढ़ाया गया है। टीएसएम के अंतर्गत, वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती - भारत (जीएचटीसी-भारत) का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर उपलब्ध सर्वोत्तम सिद्ध निर्माण प्रौद्योगिकियों की पहचान करना और उन्हें मुख्य रूप से अपनाना था जिसमें प्रीफैब्रिकैटिड टेक्नोलॉजी भी शामिल है, जो तेज, स्थायी, हरित और आपदा प्रतिरोधी है। जीएचटीसी-इंडिया के अंतर्गत, दुनिया भर से चुनी गई 54 नवीन सिद्ध निर्माण तकनीकों को विभिन्न भू-जलवायु क्षेत्रों के अनुसार छह अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है ताकि आंध्र प्रदेश सहित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इन्हें आगे अपनाया जा सके। जो www.ghtc-india.gov.in पर उपलब्ध हैं। इन परियोजनाओं में प्रयुक्त नवीन प्रौद्योगिकियाँ तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा जीएचटीसी-इंडिया के अंतर्गत चुनी गई हैं और सिद्ध एवं समय-परीक्षित हैं।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू 2.0 दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चयनित तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसियों (टीपीक्यूएमए) के माध्यम से मिशन के बीएलसी/एएचपी/एआरएच घटक के अंतर्गत निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रावधान है। टीपीक्यूएम एजेंसियों द्वारा परियोजना स्थल का दौरा करना और गुणवत्ता संबंधी मुद्दों पर राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र और शहरी स्थानीय निकायों को सलाह देना अपेक्षित है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) की स्थापना देश में ऐसी चिन्हित नवीन प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और मापनीयता का निरंतर मूल्यांकन, आकलन और निगरानी करने के लिए की गई है। बीएमटीपीसी को आंध्र प्रदेश सहित देश भर में, विशेष रूप से नेल्लोर और अन्य चक्रवात-प्रवण जिलों में, पायलट प्रदर्शन आवास परियोजनाओं के निर्माण, नवीन प्रौद्योगिकियों के निष्पादन प्रमाणन, व्यावहारिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा, एएचपी और एआरएच परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान (टीआईजी) के रूप में अतिरिक्त केंद्रीय सहायता का प्रावधान जीएचटीसी-इंडिया प्रमाणित प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देता है।

*****